

कार्यालय आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ

संख्या-112/48/गंगा एक्सप्रेसवे/वन विभाग/2021/08/30/21)

दिनांक 19 अगस्त, 2021

आदेश

शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 05.09.1986 को आशिक परिष्कार करते हुए और 20प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सेन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड(ग) तथा 20प्र0 राजस्व संहिता विभागधारी 2016 के नियम 56 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-28/741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 एवं शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिलिखित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं रंजन कुमार आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ सूची में उल्लिखित ग्राम सभा के प्रवक्ता में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। नीचे अनुसूची के खण्ड 6 व 7 में उल्लिखित भूमि का उ0प्र0 शासन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, लखनऊ, के निर्देश पर गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 2598/77-3-20-21एम/19 दिनांक 26 नवम्बर, 2020 में निहित व्यवस्थानुसार, निशुल्क पुनर्ग्रहण की जाती है।

क्रमांक	जनपद का नाम	तहसील का नाम	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उन्नाव	बागसराऊ	बागसराऊ	कैथौली	849	3.3160	बजर
					1075ड मि	1.3210	बजर
					कुल योग	02	4.6370

आर-6 नंबर-11
के खण्ड 196 के क्रम सं 43
पर अंकित किया गया है।
2-10-21

(रंजन कुमार)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, लखनऊ।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, उन्नाव को उनके पत्र संख्या- 1-डी0एल0आर0सी0/वन विभाग/2021 दिनांक 11-08-2021 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रतियों कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन व सम्बन्धित ग्राम में किसी सहजदृश्य स्थान पर चरपा कराये तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चरपा होने की तिथि अंकित करते हुये अनुपालन आख्या शासन के सम्बन्धित विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराये। यह भी अपेक्षित है कि शासकीय अधिसूचना संख्या-744(1)/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 एवं शासनादेश संख्या-2598/77-3-20-21एम/19 दिनांक 26.11.2020 व समय समय पर जारी नियम/शासनादेशों के अनुसार उक्तानुसार ग्राम सभा कैथौली की उक्त भूमि कुल रकबा 4.6370 हे० निशुल्क पुनर्ग्रहीत की गई है तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा के पत्र संख्या-1304/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 22.06.2021 के आलोक में तदनुसार उक्त भूमि का भू-अभिलेखों में नामान्तरण एवं कब्जा हस्तान्तरण किया जाये एवं कृत कार्यवाही से राजस्व अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन, लखनऊ, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन, लखनऊ व राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ सहित इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

6 गार्ड फाईल हेतु।

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

19.09.2021
(रंज विजय यादव)
अपर आयुक्त (प्रशासन),
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

जिमज

ग्राम कैथोली परगना व तहसील बांशगढ़ जिला ^{उन्नाव} सन् फ 1423 से सन् फ 1428 तक

क्र.सं.	खानेदार का नाम, पिता का नाम व निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाने की प्रत्येक गांव की छुसरा माया	क्षेत्रफल वर्गवर्गमी	वीथी में या एकड़ में	खानेदार द्वारा देय मान्यकारी या लगान	परिवर्तन सम्पन्धी का आज्ञा सारांश तथा दिनांक आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो का पंचायती अदालत द्वारा स्वीकृत हुए						टिप्पणी
							सन्	फ.	सन्	फ.	सन्	फ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
665	बैंजर-जुज भाग		849	3.3160	1075	3.3220							कार्यालय आयुक्त, लखनऊ में, लखनऊ सं. 4248/गंगा एक्सप्रेसवे/सविभाग/2021/08-3C(20-21) दि. 09 सितम्बर 2021 आसनादेखी सं. 68/3-2(6)-1979-रा. 1 दि. 05.09.88 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उपराजस्व संहिता-2006 (उपरा अधिनियम सं. 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उपराजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा उपराजस्व का प्रयोग करके तथा शासकीय आवास रचना सं. 28/741/एक-1-2016-20(5)/2016 दि. 03.06.2016 एवं शासनादेश सं. 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दि. 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए ग्राम कैथोली की गारा सं. 849/3.3160 हे. व 1075 इ.मि./1.3220 हे. भूमि बैंजर के कुल रकबा 4.6370 हे. जो ग्राम सभा के प्रबंधन में निहित थी को उपराजस्व शासन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, लखनऊ के निर्देश पर गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश सं. 2598/77-3-20-21 एम/19 दि. 26 सितम्बर, 2020 में निहित व्यवस्था नुसार निष्पुण्ड पुनर्ग्रहण की जाती है।

संलग्न प्रतिलिपि,
कार्य सरकार हेतु जारी

Sushruti Devi
17/09/2021

ह. आ.
17.09.2021

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
मुपीडा, लखनऊ

कैथोली इस्काबाबाद

સેલ્ય પ્રતિલિપિ,
કાર્ય સરકાર રૂઢ જારી

Sushant Desi
17/09/2021

विशेष - ब्यौली इस्लामाबाद

हो आ
17.05.2021

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

नसीली नं २११ गाम - जेथोली

नसीली इलाका माफक

संकेत - ■ प्रतिगत भूमि



(Signature)

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडी, लखनऊ

(Signature)

संरक्षण

संज्ञा: प्र. निशाग

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

संरक्षण

Gertrude Davis